



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261867
CG-DL-E-22032025-261867

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946

No. 221]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा. सं. 18-24/5428-आईएनसी.—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, कलिंग नर्सिंग स्कूल, नौसाही (सिटी क्लिनिक के पास), पोस्ट बलिया, जिला बालासोर, जिला बालेश्वर-756056 (उड़ीसा) उड़ीसा राज्य सरकार तथा उड़ीसा नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा एएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), उड़ीसा राज्य सरकार, सचिवालय भवन, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा को संबोधित नोटिस संख्या 18-24/5428-आईएनसी (58383) दिनांक 20.05.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 20.05.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति कलिंग नर्सिंग स्कूल, नौसाही (सिटी क्लिनिक के पास), पोस्ट बलिया, जिला बालासोर, जिला बालेश्वर-756056 (उड़ीसा) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, कलिंग नर्सिंग स्कूल के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी कलिंग नर्सिंग स्कूल ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 29.01.2024 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये गंभीर कमियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि संस्थान एएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 26.10.2024 से **कलिंग नर्सिंग स्कूल, नौसाही (सिटी क्लिनिक के पास), पोस्ट बलिया, जिला बालासोर, जिला बालेश्वर-756056 (उड़ीसा)** से एएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति उड़ीसा राज्य सरकार के आदेशों के अध्वधीन केवल उड़ीसा राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1083/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 10th March, 2025

F. No. 18-24/5428-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Kalinga Nursing School** situated at **Nausahi (Near City Clinic) Po – Balia Dist- Balasore, Balasore ,Distt. Baleshwar 756056 Odisha** is recognized by State Government of Odisha and Odisha Nurses & Midwives Council to conduct ANM Course.

Whereas, a notice no. 18-24/5428-INC (58383) dated **20/05/2024** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to the principal secretary (Health & FW), Government of Orissa, Secretariat Building, Bhubaneswar – 75100, Odisha was issued. Copy of the notice dated 20/05/2024 was also enclosed to **Kalinga Nursing School** situated at **Nausahi (Near City Clinic) Po – Balia Dist- Balasore, Balasore ,Distt. Baleshwar 756056** Odisha. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Kalinga Nursing School**. Even the institution, **Kalinga Nursing School** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 29/01/2024 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run ANM Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 26/10/2024 any person holding a recognized qualification of ANM from **Kalinga Nursing School** situated at **Nausahi (Near City Clinic) Po – Balia Dist- Balasore, Balasore , Distt. Baleshwar 756056 Odisha** shall be entitled to be registered only in the State of Odisha.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./1083/2024-25]